न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी
सौरभ स्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
20/2022 GCMS NO 2022/40	25.07.2022	16.09.2022

प्रार्थी		अप्रार्थी / बाकीदार–ऋणी
ए.यु.स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर	बनाम	रावत डेयरी उद्योग प्रो. राहुल मीणा निवासी जैन मंदिर के पास रम्भावली, तहसील छोटीसादडी सह–ऋणी :– राहुल मीणा पिता भगवती लाल मीणा निवासी एन.एच. 70 जैन मंदिर के पास रम्भावली तहसील छोटीसादडी श्रीमती कन्या बाई पत्नी भगवती लाल मीणा निवासी जैन मंदिर के पास रम्भावली तहसील छोटीसादडी प्रतापगढ़ भगवती लाल पिता गंगाराम मीणा निवासी एन.एच. 70 जैन मंदिर के पास रम्भावली तहसील छोटीसादडी दिलीप कुमार जैन पिता कंवर लाल जैन निवासी 81, रम्भावली तहसील छोटीसादडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत्

उपस्थिति :–

श्री मुकेश सिंह चारण अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :–16.09.2022

–: आदेश :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2019 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती कन्या बाई पत्नि भगवती लाल मीणा निवासी जैन मंदिर के पास रम्भावली तहसील छोटीसादडी राज पट्टा नंबर 17 रम्भावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ पर

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि को सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 91.66 स्क्वायर यार्ड है। जिसके पडोस पूर्व में चंपालाल मीणा, पश्चिम में भैरूलाल मेघवाल, उत्तर में गोवर्धन लाल मीणा, दक्षिण में रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 6,00,000/—अक्षरे छः लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजुद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 09.12.2021 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्रीमती कन्या बाई पत्नि भगवती लाल मीणा निवासी जैन मंदिर के पास रम्भावली तहसील छोटीसादडी राज पट्टा नंबर 17 रम्भावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि को सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 91.66 स्क्वायर यार्ड है। जिसके पडोस पूर्व में चंपालाल मीणा, पश्चिम में भैरूलाल मेघवाल, उत्तर में गोवर्धन लाल मीणा, दक्षिण में रास्ता स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 16.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है
1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ
2. एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर